

From No. III
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा
फर्द अहकाम
(नियम 28)

रामदयाल बनाम मंगतू वगै०

हुकम का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज
प्रार्थना पत्र - 212 संख्या वर्ष 2020

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख में
जारी हुए

तारीख हुकम

06.10.2020

आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।

अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 10.11.2020 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 192/0.58, 232/0.66, 233/0.21, 234/0.13 है० वाके ग्राम मुसैपुर पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद **Absolute** कर दिया जावें ? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जय अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलबाने जारी करा पो० रसीद 07 दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(अलवर)

17⁰⁹/₂₁ पत्रावली आज इमजिस्ट्रारिफ पेश की पेश हुई। वादी
अधिवक्ता उपर। प्रार्थना पत्र के पूरक के जारी ज. आदेश
आगामी दिनांक 22/11/2020 को पेश करने हे पत्रावली दिनांक
22/11/21 को पेश हो।

24⁰³/₂₂ पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधि० उपर। वादी का वाद
पोस्ट प्रेस में खारिज हो चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र में
खारिज किया जाता है। पत्रावली केसल शुमार होकर वाद
नकलील-संलग्न मूलवादा हो।